बिना संस्कार, नहीं सहकार।
बिना सहकार, नहीं उद्धार।।

सहकार भारती

कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग पुस्तिका

संघठन मंत्र

ऊँ सं गच्छध्वं सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे, संज्जनाना उपासते ।। 1।।

समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम्।
समानं मंत्रं अभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमी ।। 2।।

समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति ।। 3।।
।। ऊँ शांतिः शांतिः शांतिः ।।

अर्थः—पग से पग (कदम से कदम) मिलाकर चलो, स्वर से स्वर मिलाकर बोलो, तुम्हारे मनों में समान बोध (ज्ञान) हो। पूर्व काल में जैसे देवों ने अपना भाग प्राप्त किया, सम्मिलित बुद्धि से कार्य करने वाले उसी उसी प्रकार अपना—अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं। इन (मिलकर कार्य करने वालों) का मन्त्र समान होता हैं अर्थात यह परस्पर मंत्रणा करके, एक निर्णय पर पहुँचते हैं, चित्त सहित इनका मन समान होता है। मैं तुम्हें मिलकर समान निष्कर्ष पर पहुँचने की प्रेरणा या परामर्श देता हूँ, तुम्हें समान भोज्य प्रदान करता हूँ।

हम सभी के संकल्प एक समान हो, हम सभी के हृदय की इच्छाएं एक समान हो, हम सभी के विचार एक समान हो, जिससे कि हम सब में पूर्ण समरसता आये।

गीत

समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना।
भारत माता के वैभव हित, सहकारिता की साधना–2।।ध्रु।।
समाज से ही संस्कृति की यह, श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली।
धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी, समाज से ही हमें मिली।
यह समाज ऋण पूर्ण चुकाने, जो पाया सो बाँटना।। 1।।
समान अवसर मिले सभी को, कोई भी न उपेक्षित हो।
सभी स्वस्थ, शिक्षित,संस्कारित,समर्थ और सुरक्षित हो।।
दया नहीं उपकार नहीं यह, अपनेपन की भावना।। 2।।
भाषा प्रांत जाति जो भी हो, भारत माँ के पुत्र सभी।
ग्राम नगर, वनवासी, गिरिजन, अपने तो हैं बंधु सभी।।
जनता के सुख में तो है, समाज–सुख की धारणा।। 3 ।।

सहकार भारती

हमारा मूल विचार

1. सहकारिता और एकात्म मानव दर्शन

- हमारे जीवन दृष्टि से सहकारी आंदोलन, केवल आर्थिक आंदोलन नहीं है। यह तो एक आर्थिक सेवा का क्षेत्र है।
- आर्थिक सेवा के साथ, यह एक जन आंदोलन याने सामाजिक आंदोलन भी है।
- जब हम समाज का विचार करते हैं तो, समाज मनुष्य से ही बनता है।
- मनुष्य यह केवल भौतिक प्राणी, नहीं है। पशु व मानव में अंतर है।
- मानव चार तत्व का अस्तित्व है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से बनता है।
- व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, वह सृष्टि और परमेष्टि से जुड़ा रहता है । इनके परस्पर सहयोग से ही, मानव सुख प्राप्ति करता है।
- सुख की कल्पना, केवल शारीरिक सुख से मर्यादित नहीं है।
- स्वयं के सुख के साथ, समाज का भी सुख प्राप्त हो। **''सर्वे भवन्तु सुखिनः''** की भावना, सहकारिता में अभिप्रेत है, यही एकात्म मानव दर्शन का सार है।
- जब कोई व्यक्ति सहकारिता से जुड़ता है तो, वह व्यक्तिगत अधिकार के साथ,समाज से भी जुड़ता है।
- जैसे सहकारिता में Share (भाग) जिस पर सदस्य का भी अधिकार है और संस्था का भी अधिकार है।

- व्यक्ति को समाज से जुड़ना, सृष्टि से जुड़ना, परमेष्टि से जुड़ना है। इसकी प्रथम कड़ी व्यक्ति और समाज से जुड़ने से प्रारंभ होती है,यही सहकारिता है।
- अस्तु सहकारिता,एकात्म मानव दर्शन का व्यावहारिक अनुप्रयोग Practical Application है।
- इसी दृष्टि से सहकारी आंदोलन चलाना, यह हमारा भारतीय चिंतन पर आधारित, सहकार लक्ष्य है।
- अर्थकारण दृष्टि से पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा निरर्थक सिद्ध हुई है।
- इनके समन्वय से विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था ही, सहकारिता है। यह सुवर्णमध्य है, यही बात एकात्म मानव दर्शन में अभिप्रेत है।
- विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था द्वारा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान होगा। इसे ही पं. दीनदयाल जी ने समग्र समुत्थान कहा है।

2. सहकारिता द्वारा मातृशक्ति जागरण

- भारतीय चिंतन में मातृशक्ति के बारे में (महिलाओं के बारे में) जो हम विचार करते है, वह आज की अवस्था में, फिर से प्रभावी रूप से करने की आवश्यकता है।
- पश्चिमी विचार में स्त्री केवल एक व्यक्ति के रूप में है। हमारा चिंतन एकात्म रूप से देखना है। पाश्चात्य दृष्टि में स्त्री मुक्ति की कल्पना है, हमारे दृष्टि में स्त्री शक्ति का पर्याय है।
- महिला से ही परिवार–जीवन का अस्तित्व है। परिवार– इकाई, सहकारिता का ही रूप है।
- महिलाओं की समस्या – समाज की समस्या है।

- श्रीमद्भगवत् गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने इसका वर्णन ईश्वरीय अस्तित्व समान माना है। क्योंकि स्त्री में मेधा,स्मृति, क्षमा, धृति, श्री,वाक,और कीर्ति जैसे गुण होते है। आज इसी शक्ति का जागरण करने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के ममता और प्रमाणिकता जैसे नैसर्गिक गुणों के, संस्कार की, सहकारिता में आवश्यकता है।
- ऐसे संस्कार देने के लिए, हर सहकारिता में महिलाओं का स्थान रहता है। उनको निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय करने की आवश्यकता है।
- आज के आर्थिक रचना में महिलाए स्वावलंबी बनना आवश्यक है, परिवार में आर्थिक सहभाग और योग्य विनियोग में उनका योगदान सुचारू रूप से हो सकता है।
- यह योगदान SHG आंदोलन द्वारा साध्य हो सकता है। इसलिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, सहकार भारती का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, ग्रामीण तथा वनांचल में रहने वाली (चारो प्रकार की) महिलाओं के लिए विभिन्न सहकारिता का निर्माण आवश्यक है।
- इन सहकारिता द्वारा आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक समरसता के अनेक उदाहरण है।
- महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में सक्षम है। इस प्रकार की सहकारिता के लिए, सहकार भारती द्वारा प्रशिक्षण, उत्पादन–वितरण की व्यवस्था करने से, महिलाएं सम्मान पूर्वक जीवनयापन कर सकती है। इसी प्रकार से मातृशक्ति जागरण करना हमारा लक्ष्य है।

3. सहकारिता द्वारा सामाजिक समरसता

- सहकारिता—यह एक जन आंदोलन है। इसलिए अपने समाज की स्थिति क्या है, इसका अध्ययन आवश्यक है।
- हमारा समाज विभिन्न स्तर पर विघटित है, गत डेढ़ हजार वर्ष की संघर्षमय स्थिति में, विदेशी आक्रमणकारियों और हमारी कुछ भूलों ने, समाज को छिन्न विछिन्न किया है।
- हमारा समाज विशाल और विविधता से भरा हुआ है। विविधता में एकता के सूत्र को भूलने से समाज में विघटन हुआ।
- जाति,पंथ, भाषा आदि के झगड़ों के कारण तथा विदेशी ताकतों द्वारा इसे बढ़ावा देने के कारण समाज में भेद उत्पन्न हुए।
- आर्थिक स्तर पर भी भेद उत्पन्न हुए हैं।
- सहकारिता एक आर्थिक, सामाजिक आंदोलन है।इसलिए यह सामाजिक समरसता निर्माण का बहुत बड़ा माध्यम है।
- इस माध्यम से ही एकरस समाज निर्मित हो सकता है,ऐसा सहकार भारती का विश्वास है।
- सहकार भारती में, समाज के हर घटक से जुड़ने का सामर्थ्य है। निरंतर प्रयास और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा समाज के सब घटकों को हम साथ ले सकते हैं।
- सहकारी संस्थाओं में, समाज के विभिन्न स्तर के लोग सहभागी हो सकते हैं। संचालक मंडल में निर्णय प्रक्रिया में, विभिन्न स्तर के व्यक्तियों को स्थान देना, सदस्यों का एकत्रीकरण आदि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- सदस्यों का परिवार मिलन, एकत्र भोज आदि कार्यक्रमों द्वारा एकरस समाज भावना को बढ़ावा देना।

- राष्ट्रीय एकता के लिए, समता प्रस्थापित करना आवश्यक है। समता युक्त समाज का समरसता से ही निर्माण होता है।

4. ग्राम्य विकास में सहकारिता की भूमिका

- सहकारिता का उद्गम और विकास ।
- पश्चिम में औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया ।
- भारत की स्थिति अलग है। कृषि प्रधान देश होने के कारण, यहाँ ग्रामीण आँचल में सहकारिता की आवश्यकता है। तीन स्तरीय रचना से सहकारिता एक उत्तम मार्ग है।
- ग्रामीण सहकारिता से आर्थिक विकास के कई उदाहरण है।
- समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक, आर्थिक क्षमता उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास करना, यही एकात्म भारत का चिंतन है। इसलिए सहकार भारती का प्रयास है कि ग्रामीण सहकारिता को बढ़ावा मिलें।
- किसानों की आय दुगनी करने हेतु शासन द्वारा पशु संवर्धन, कृषिमाल प्रक्रिया, उद्योग वितरण व्यवस्था और गोदाम बनाने की, अनेक योजनाएं तय की है। योजनाओं को प्रत्यक्ष साकार होने हेतु, सहकार भारती, सहकारिता को सुदृढ़ करने पर विश्वास करती है।
- वसुधैवं कुटुम्बकम् की विचारधारा से पूरे विश्व का कल्याण होगा, इस पर 1925 से दृढ़–श्रद्धा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रयास चल रहे है। इस व्यापक प्रयास का एक हिस्सा, सहकारिता है। सहकारिता से समाज के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, यही हमारा मूल विचार है। इस मूल विचार को साध्य करने का एक अंग –सहकार भारती है।

सहकार भारती– दृष्टि और लक्ष्य

''**बिना संस्कार, नहीं सहकार**'' इस घोषणावाक्य के साथ, सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला, सहकार भारती एकमात्र स्वयंसेवी संगठन है। 1979 में स्थापित **सहकार भारती** आज की तारीख में, संपूर्ण भारतवर्ष में 28 प्रदेशों तथा 650 से अधिक जिला केन्द्रों में कार्यरत है। सहकारिता हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। ''**सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया**'' के सदियों पुराने मंत्र को क्रियान्वयन करने का सामर्थ्य, केवल सहकारिता आंदोलन में ही है। अपने देश के निर्धन, दुर्बल, वंचित, असंघटित, दलित, शोषित तथा निम्न आर्थिक स्तर के नागरिकों का स्थायी आर्थिक विकास करने का, सहकारिता ही एकमात्र साधन हो सकता है। सहकार भारती के प्रेरणा पुरूष श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी की भी यही अवधारणा रही है। सुसंस्कारित,चरित्र संपन्न कार्यकर्ता, जो कि दलगत राजनीति से मुक्त होकर, विश्वस्त भाव से (मालिक नहीं) निस्वार्थ तथा समर्पित कार्यकर्ता अगर सहकारिता क्षेत्र का नेतृत्व करें, तो निश्चित ही, देश के स्थायी आर्थिक विकास की प्रक्रिया अधिक गतिमान हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर सहकार भारती का गठन विचार पूर्वक किया गया है। लक्ष्य,उद्देश्य, गतिविधियां तथा निश्चित कार्यक्रमों के आधार पर सहकारिता आंदोलन द्वारा देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के पथ पर सहकार भारती निरंतर अग्रसर रहेगी। सहकार भारती यह केवल संगठन नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। समाज परिवर्तन का एक सशक्त साधन है। सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ता, सहकारी समितियां, प्रबंधक, निदेशक आदि सभी से सहकार भारती का यह अनुरोध रहेगा कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से सहकारिता क्षेत्र का शुद्धिकरण हो। सहकारिता क्षेत्र में सकारात्मक, विकासलक्ष्यीय, संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया हेतु सहकार भारती निरंतर कटिबद्ध रहेगी।

1. समाज को, सहकारिता आंदोलन के लाभ से अवगत कराना।

2. लोगों को राष्ट्रीय, राज्य,जिला,तहसील तथा प्राथमिक स्तर पर विविध प्रकार की सहकारी समितियाँ गठन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. विद्यमान सहकारी समितियों की समस्या–समाधान का प्रयास करना।

4. सहकारी संस्थाओं को उनकी स्थापना, प्रगति तथा संचालन से जुड़ी बातें लेकर सहकारिता विभाग, राज्य, केन्द्र शासन, रिजर्व बैंक और ऐसी राज्य या केन्द्र स्तर की अन्य संस्थाओं में समन्वय प्रस्थापित करना एवं नेतृत्व देने का प्रयास करना।

5. विविध क्षेत्र में, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक तथा सहकार क्षेत्र में अनुसंधान हेतु प्रोत्साहित करना।

6. सहकारी समितियों को तकनीकी सेवा प्रदान करना।

7. ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सर्वेक्षण, अध्ययन तथा ऐसे प्रकल्पों को सहायता प्राप्त करने हेतु सहयोग करना।

8. सहकारिता क्षेत्र में नवाचार प्रारंभ करने हेतु प्रयास करना।

9. सेमिनार, वार्तालाप, सभा, शिविर, व्याख्यान आदि के आयोजन द्वारा सहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रबोधन करना।

10. सभी प्रकार के सहकारी संस्थाओं के संचालक अधिकारी वर्ग, कर्मचारी व सभासद आदि को प्रशिक्षण देना तथा उनकी क्षमता का विकास करना।

11. सभी प्रकार के सहकारी संस्थाओं के संचालक, अधिकारी वर्ग,कर्मचारी व सभासद आदि को प्रशिक्षण देना तथा उनकी क्षमता का विकास करना।

।। जय सहकार ।। जय भारत ।।

सहकार भारती की गतिविधियाँ

सहकार भारती के उद्देश्य को पूरा करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों में से, किसी भी एक गतिविधि को गैर लाभकारी तत्व पर शुरू कर सकते हैं।

1. सेमिनार, वार्तालाप, सभा, शिविर, व्याख्यान आदि के आयोजन द्वारा सहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, जानकारी देना।
2. लेख, सामयिक रिपोर्टस्, पुस्तक छापना, प्रकाशित करना तथा वितरित करना।
3. फिल्म, पी.पी.टी. , फोटोग्राम, पोस्टर तैयार करना तथा प्रदर्शित करना।
4. सामाजिक, आर्थिक और सहकार क्षेत्र में काम करने वलों को आवश्यकतानुसार समर्थ बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण देने वाली संस्था का निर्माण करना।
5. विविध प्रकोष्ठ, शाखाएं, कार्यालय निर्माण करके तकनीकी–आर्थिक सेवा प्रदान करने हेतु प्रकल्प, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान करना।
6. सहकार भारती की गतिविधियों को चलाने के लिए सम विचारी संस्था, व्यक्तियों की समान गतिविधियों के लिए, धन इकट्ठा करना।

सहकार भारती की मान्यताएं–

इस उद्देश्य प्राप्ति में सहकार भारती ने कुछ मान्यताएं निश्चित की है। कुछ विधि–निषेघ (डूज और डोंट्स) स्वीकारें हैं, जो निम्नानुसार हैं।

1. भारत एक प्राचीन राष्ट्र हैं और यहां सहकारिता की एक प्राचीन परंपरा चली आयी है।

2. सहकारिता, यह समाज के उत्थान का एवं विशेषतः आर्थिक उत्थान का सर्वोत्तम माध्यम हैं।

3. सहकारिता, यह मात्र आर्थिक उद्यम न होकर, आर्थिक सेवा है।

4. अतः सहकारी कार्यकर्ताओं में सेवाभाव, सादगी, ईमानदारी, परिश्रम–प्रियता, ध्येयनिष्ठा, समय–दान इत्यादि गुणों की आवश्यकता है। सहकारिता में संस्कारित कार्यकर्ता चाहिए। इसी को हमने कहा है बिना संस्कार, नहीं सहकार। बिना सहकार, नहीं उद्धार।।

5. सहकारिता में सदस्यों के हित के साथ–साथ, समाज हित के कार्य भी करने चाहिए। यही सामाजिक दायित्व–बोध (Social Commitment) उसकी विशेषता है।

6. सहकारिता में, दलीय एवं सत्ता की राजनीति तथा जातिगत एवं सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होना चाहिए।

7. सहकारिता, यह स्वतंत्र, स्वायत्त एवं सदस्य आधारित होनी चाहिए।

8. सहकारिता में आर्थिक अनुशासन का पालन आवश्यक है।

9. इन मान्यताओं के आधार पर, सहकारिता की वृद्धि, शुद्धि, प्रशिक्षण, निगरानी एवं प्रतिनिधित्व हेतु एक गैर राजनैतिक एवं गैर सहकारी सामाजिक जन संगठन की जरूरत है, सहकार भारती उसी का नाम है।

सहकार भारती – कार्यपद्धति

हर संगठन की जीवंतता, उसकी कार्य पद्धति से सिद्ध होती है। संगठन का तत्वज्ञान, व्यवहारों में प्रकट होना आवश्यक है। संगठन का हित केवल शब्दों में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में दिखना चाहिए। संगठन का

हित, तत्वज्ञान प्रत्यक्ष व्यवहारों में न हो, तो केवल रटा रटाया((पोपट पक्षीय) होगा। इसलिए समाजिक जीवन को अच्छा आकार देने हेतु, ध्येय की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को ही, कार्य पद्धति कहते है।

ध्येय संकल्पना के प्रत्यक्ष प्रकट होने हेतु, कार्य रचना ॅवता डमबींदपेउ) और कार्य करने की मानसिकता (Work Culture) विकसित करने की प्रक्रिया को ही, हम कार्य पद्धति कहते है। उचित संस्कारों से निर्माण होने वाली कार्य पद्धति ही, संगठन को बढ़ावा देती है, आगे लेकर चलती है।

समान विचारों के साथ कार्यकर्ताओं का समूह, एक समान उद्देश्य को लेकर, तालमेल बनाते हुए आर्थिक समुत्थान का कार्य करना।

दायित्ववान कार्यकर्ता को दायित्व या कार्य का (Clear Allotment) स्पष्ट विभाजन।

सहकार भारती Duplication of Work से नहीं, बल्कि समुचित कार्य विभाजन (Proper Work Allotment) के साथ, हर कार्यकर्ता को दायित्व देकर, लक्ष्य प्राप्त करती है।

- क्षमता के अनुसार, कार्य विभाजन।
- परस्पर चर्चा के द्वारा कार्य विभाजन।
- समय–समय पर Success Stories या हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन, बौद्धिक देकर कार्य में गति लाना।
- राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला स्तर तक कार्यकारिणी समिति गठन कर, विचारों का प्रचार–प्रसार करना ।
- योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन।
- सदस्यता वृद्धि करना, तहसील स्तर से प्रदेश तक ।

- पदाधिकारी घोषणा और दायित्व बोध ।
- कार्यकारिणी के माध्यम से प्रचार / प्रसार ।
- नियमित बैठक करना।
- प्रत्येक कार्य में अधिक से अधिक सहभागिता।
- कार्यक्रम योजना,सभी से चर्चा– सहमति से।
- सामूहिक विचारों के बाद निर्णय।

कार्य पद्धति की प्रमुख विशेषताएं–

- समाज में कामगर लोगों से संपर्क करना ।
- सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से संपर्क करना।
- उसमें अच्छे व्यक्तियों को ढूढ़ना, उनका चयन करना।
- व्यक्ति को सहकार भारती कार्यकर्ता बनाना।
- कार्यकर्ता में संस्कार सिंचन तथा सहकारिता का भाव निर्माण करना।
- सहकार भारती का सहकारी समितियों में पद, कोई अधिकार नहीं है, मगर कर्तव्य है, ऐसा भाव निर्माण करना।
- यह समाज मेरा है, सारा समाज मेरे भाई–बहन है। उनकी समस्याएं, मेरी समस्या हैं। ये समस्याएं, मुझे ही निपटाना है। यह भाव दृढ़ करना।
- घर से घर, मन से मन, श्रृद्धा से ह्रदय मिलाना है।
- समाज की वेदना का, सहकारी कार्यकर्ताओं को ध्यान आना चाहिए।

सहकार भारती कार्यकर्ता और कार्यकर्ता निर्माण पद्धति

1. चयनः—

गुणवान कार्यकर्ता के चयन करते समय, ध्यान में रखने वाली बातें—

- सामाजिक संवेदना ।
- सहकारिता की प्राथमिक जानकारी ।
- संगठन कुशलता ।
- समय देने की मानसिकता ।
- प्रमाणिकता, अर्थ शुद्धि ।
- साथ चलने का स्वभाव बनाना ।
- सबको साथ लेकर चलना।

2. प्रशिक्षणः—

कार्यकर्ताओं के चयन के बाद, उसे प्रशिक्षित करने की लम्बी प्रक्रिया है।

(a) समझदारी बढ़ाना

- अभ्यास वर्ग का आयोजन
- अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना हो।
- सहकार भारती की कार्य पद्धति का परिचय और जानकारी।
- देश में सहकारिता का ढांचा, कानून तथा उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी।

- सहकार भारती, अन्य फेडरेशन से भिन्न कैसे है, उसके बारे में जानकारी।
- देश के अर्थ नीतियों के बारे में विकास करना।
- अन्यों को समझने की क्षमता बढ़ाना।
- सब प्रकोष्ठ की थोड़ी–थोड़ी जानकारी और एक प्रकोष्ठ की गहन जानकारी।

(b) समझौता करना। गलती होती है, तो सुधारना। श्रद्धा और स्नेहभाव का संबंध होना चाहिए।

(c) सभी जानकारी का आदान प्रदान हो। गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए।

(d) प्रवास के बारे में, स्वयं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में सही प्रतिवृत्त हो, गलत जानकारी देने से कार्य बिगड़ता है।

(e) पद निष्ठा का निर्माण न हो, पद के साथ अपने को नहीं जोड़ना। जीवन भर कार्यकर्ता, यह भाव हो। कार्यकर्ताओं को स्थान, व्यक्ति और पद के प्रति मोह निर्माण नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता तत्वनिष्ठ हो।

(f) अहंकार शून्यता । मैंने ही किया है, ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। काम का श्रेय कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, ताकि उनका उत्साह बढ़े।

3. दायित्वः–

कार्यकर्ता की क्षमता के अनुसार, उनको दायित्व देना।

4. कार्यकर्ता का संभालः–

यह कार्य बहुत कठिन, परंतु महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता में दोष निर्माण न

हो, संलग्न न हो। योग्य संभाल न रखने से, कार्यकर्ता निष्क्रिय हो सकता है। इससे संगठन को क्षति पहुँच सकती है।

कार्यकर्ता को कैसे सम्भालना चाहिए–

क) आत्मीय सम्बन्ध बनाना।

ख) स्वयं का मन, विशाल बनाना।

ग) पद का मोह न हो।

घ) व्यक्ति निष्ठ न होना, ध्येय निष्ठ होना।

ड.) कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

5. आत्मनिरीक्षण करनाः–

अपनी कमियाँ दूर करने के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को सतत् आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। ऐसा करने से कार्यकर्ताओं की कमियाँ दूर होती है, ध्येयनिष्ठा बढ़ती है।

मूलभूत सिद्धांत

सहकारिता के मूलभूत सिद्धांत कुछ इस रूप में हैं।

1. स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता,
2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण,
3. सदस्यों की आर्थिक भागीदारी,
4. स्वायत्तता तथा स्वाधीनता,
5. शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी,
6. सहकारी समितियों में सहयोग,
7. समाज के प्रति उत्तरदायित्व

सहकार भारती करणीय कार्य

- 11 जनवरी– सहकार भारती स्थापना दिवस
- सदस्यता अभियान
- 14 से 20 नवम्बर–सहकारिता सप्ताह
- त्रै वार्षिक जिला सम्मेलन लेकर, जिला कार्यकारिणी गठन करना।
- जिला व प्रदेश में प्रति माह सहकारिता को लेकर, एक कार्यक्रम का आयोजन।
- प्रदेश में प्रकोष्ठशः संगोष्ठी, समस्या समाधान तथा प्रबोधन पर, प्रति माह एक कार्यक्रम का आयोजन
- वर्ष में एक महिला कार्यक्रम का आयोजन

संगठनात्मक प्रदेश स्तर पर–

- त्रैवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन
- प्रदेश एवं विभाग तथा जिला अभ्यास वर्ग का आयोजन (त्रै वार्षिक)
- प्रदेश पदाधिकारी प्रति माह 5 संस्था, 5 व्यक्ति संपर्क की योजना
- प्रदेश पदाधिकारी प्रति माह 3 दिन, योजनाबद्ध प्रवास करे

बैठक–

- मंथन–मासिक / द्वि मासिक
- संगठन समिति–त्रै मासिक
- प्रदेश कार्यकारिणी–वर्ष में दो बैठक

- जिला कार्यकारिणी–न्यूनतम एक मासिक बैठक
- महिला प्रकोष्ठ – वर्ष में दो बैठक
- प्रकोष्ठश: बैठक– वर्ष में दो/तीन बैठक

प्रकोष्ठ–

- प्रकोष्ठ की समिति गठन करना
- वर्ष में एक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम
- प्रत्येक प्रकोष्ठ की कार्यशाला करना
- विभिन्न सहकारी संस्थाओं के संचालक व अधिकारी तथा सभासद का प्रशिक्षण
- सहकारिता क्षेत्र की समस्या– समाधान हेतु निशुल्क मार्गदर्शन केन्द्र चलाये
- आदर्श स्वयं सहायता समूह गठन करना
- नई प्रकार की सहकारी समिति (संस्था) गठित करना।

प्रदेश स्तर की व्यवस्था–

- सुसज्जित, सक्रिय प्रदेश कार्यालय
- जमा खर्च/धन संग्रह की योजना
- लेखापाल (Audit)

प्रकोष्ठ रचना

- **''बिना संस्कार नहीं सहकार–बिना सहकार नहीं उद्धार''** इस घोष वाक्य के साथ सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने

वाला, एक मात्र संगठन के नाते, सहकार भारती को मान्यता।

- समाज के स्थायी आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम सहकारिता, ऐसी मान्यता। सहकारिता क्षेत्र में सुचारू रूप से चले, इसके लिए सहकार भारती द्वारा सहकारिता क्षेत्र को संस्कार, आचार– विचार की रीति–नीति देने का प्रयास।
- सहकार भारती का भौगोलिक तथा गुणात्मक विस्तार करने हेतु प्रकोष्ठ संकल्पना का विस्तार।
- सहकारिता क्षेत्र में लगभग 55 प्रकार की सहकारी समितियों का गठन हुआ हैं। हर एक प्रकार की सहकारी समितियों का एक विभिन्न समूह /विभाग/प्रकोष्ठ जिसे Cell के नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे अर्बन बैंक प्रकोष्ठ, क्रेडिट प्रकोष्ठ, दुग्ध प्रकोष्ठ, कृषि संघ संस्था प्रकोष्ठ, मत्स्य प्रकोष्ठ, स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ
- विभिन्न सहकारी समितियों की चुनौतियां (Challenges) एवं प्रश्न/समस्याएं (Emerging Challenges) अलग–अलग होते हैं। सहकार भारती के माध्यम से अथवा प्रयासों से इन समस्याओं का समाधान हुआ तो,
- सहकारी समितियां आसानी से सहकार भारती के साथ जुड़ सकती है तथा सहकार भारती का विचार स्वीकार हो सकता है।

प्रकोष्ठ

1. नगरीय सहकारी बैंक प्रकोष्ठ (Urban Cooperative Bank)
2. जिला केन्द्रीय बैंक प्रकोष्ठ (Dist- Central Cooperative Bank)
3. साख संस्था प्रकोष्ठ (Credit Cooperative Society)

4. दुग्ध संघ प्रकोष्ठ (Milk Cooperative)
5. बुनकर समिति प्रकोष्ठ (Weaver Cooperative)
6. उपभोक्ता समिति प्रकोष्ठ (Consumer Cooperative)
7. स्वयं सहायता प्रकोष्ठ (SHGs)
8. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति प्रकोष्ठ (PACs)
9. विपणन प्रकोष्ठ (Marketing Cooperative)
10. श्रमिक सहकारी संस्था प्रकोष्ठ (Labour Cooperative)
11. गृह निर्माण संस्था प्रकोष्ठ (Housing Cooperative)
12. स्वास्थ्य सहकारी समिति प्रकोष्ठ (Health Cooperative)
13. मत्स्य व्यवसाय प्रकोष्ठ (Fisheries Cooperative)
14. किसान उत्पादक संगठन प्रकोष्ठ (FPO)
15. कृषि उपज बजार समिति प्रकोष्ठ (APMC)
16. गन्ना सहकारी समिति प्रकोष्ठ (Sugar Cooperative)
17. फल एवं सब्जी सहकारी समिति प्रकोष्ठ (Fruits & Vegetables Cooperative)
18. पर्यटन सहकारी समिति प्रकोष्ठ (Tourism Cooperative)
19. औद्योगिक सहकारी समिति प्रकोष्ठ (Industrial Cooperative)
20. भण्डारण सहकारी समिति प्रकोष्ठ (Storage Cooperative)
21. महिला सहकारी संस्था प्रकोष्ठ (Women Cooperative)

प्रकोष्ठों के कार्यः–

प्रकोष्ठों के कार्य निम्नांकित हो सकते हैं, जैसे कि–

1. केन्द्र / प्रदेश तथा जिला स्तर पर 10 / 12 कार्यकर्ताओं की समिति गठन करना। हर एक प्रकोष्ठ के लिए प्रकोष्ठ समिति का गठन करना। प्रकोष्ठ समिति के प्रमुख / सह प्रमुख चयन करना।

2. हर प्रकोष्ठों को अपने क्षेत्र की सहकारी समितियों की प्रारंभिक जानकारी (Initial Data) प्राप्त करना। न्यूनतम 10 : सहकारी समितियों से संपर्क करना।

3. प्रकोष्ठों के माध्यम से अधिकतम संस्थागत सदस्यता करना।

4. अपने क्षेत्र की समस्याओं का तथा चुनौतियों का अध्ययन करना। प्रकोष्ठों के प्रश्न / समस्याओं का अध्ययन करना, समस्या समाधान प्रयास करना।

5. सरकार के साथ समस्या समाधान हेतु चर्चा करना, लिखित निवेदन देना, प्रतिनिधित्व करना।

6. सहकारी संस्थाओं को विधि तथा न्यायिक मामले में सलाह–मशविरा करना, सहायता करना।

7. विभिन्न सहकारी समितियों के निदेशक, कर्मी दल को प्रशिक्षण देना। कर्मी दल के क्षमता, विकास (Capacity Building) की योजना क्रियान्वित करना।

8. सहकारी समितियों के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियाँ करना।

9. प्रकोष्ठांर्गत समितियों के लिए संगोष्ठी, कार्यशाला, अधिवेशन, विशेष व्याख्यान आदि का आयोजन करना।

10. सरकार के अधिकारी गण जैसे AR/DR/ Jt- Registrar/ RCS आदि के साथ संपर्क बनाए रखना।

11. प्रकोष्ठांतर्गत समितियों के लिए पृष्ठाधार साहित्य/पंजीयन पर्ची/अन्य आवश्यक प्रपत्र (Formats) उपलब्ध करवाना।

12. प्रकोष्ठों की नियमित रूप से बैठकें करना/सदस्यों की सूची तथा रजिस्टर तैयार करना।

13. प्रकोष्ठों के निर्वाहन हेतु धन संकलन करना, ठीक से हिसाब–किताब रखना।

14. संस्थागत सदस्यों का पंजीयन करना।

इसके सिवाय प्रकोष्ठों के हित के लिए आवश्यकतानुसार अन्य गतिविधियाँ जिसमें आंदोलन/न्यायिक लड़ाई आदि करना अपेक्षित है।

सहकारिता क्षेत्र का नेतृत्वः– सहकार भारती का ये मानना है कि, जैसे ही विभिन्न प्रकोष्ठों की रचना निर्माण होगी, सहकारिता क्षेत्र का स्वाभाविक नेतृत्व प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं को करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रकोष्ठों में नेतृत्व करने की अपेक्षा रहेगी।

शिखर संस्थाओं के चुनावः– प्रकोष्ठों के माध्यम से संस्थागत सदस्यता बढ़ेगी। प्रकोष्ठ समिति, कार्यकर्ताओं को शिखर संस्थाओं के चुनावों में प्रतिभागी होना चाहिए तथा ऐसे चुनावों में विजय प्राप्त करना चाहिए।

शिखर संस्थाओं के चुनाव के नियम तथा तौर तरीके भिन्न है। चुनाव प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन करके, चुनाव से पहले न्यूनतम दो या तीन साल पूर्व तैयारी करना आवश्यक होता है।

रोजगार सृजन
स्वावलंबी भारत अभियान

सहकारिता एक बड़ा क्षेत्र है, जो भारत जैसे देश की बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है ।

1. सभी प्रदेश के स्वावलंबी भारत अभियान कार्यशाला में सक्रिय सहभाग लेना है।
2. रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं तथा व्यक्तियों के सम्मान के कार्यक्रम करना।
3. रोजगार सृजन करने के संदर्भ में, साहित्य वितरण करना।
4. स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार निर्मित एवं 100 जिलों में एक जिला–एक उत्पाद का कलस्टर बनाना।
5. समूह गठन करके रोजगार सृजन।
6. सहकारिता के माध्यम से सामान्य व्यक्ति के आय में वृद्धि करने का प्रयास।
7. अपने–अपने जिले में यशस्वी सहकारी संस्थाओं का संकलन करें।

डाटा कलेक्शन (Data Collection)

सहकारी संस्थाओं की जानकारी एकत्रित करना–

1. प्रत्येक जिले में एक–दो व्यक्तियों की योजना बनाकर प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण करना।
2. आने वाले दो वर्षो में 2 लाख संस्थाओं को प्रत्यक्ष मिल कर जानकारी एकत्रित करना है।

पदाधिकारियों का दायित्व एवं भूमिका

पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री आदि दायित्व हम देते है। क्योंकि किसी न किसी को नेतृत्व करना होता हैं। कार्य तो सभी कार्यकर्ता मिलकर करते हैं। नेतृत्व करने वालों को, सबको साथ लेकर चलना होता है। नेतृत्व करने वालों की मानसिकता, मैं नहीं हम, इस भाव की होना, आवश्यक है। हमें आगे रहना है, किंतु इतना ही एक कदम आगे जाए, ताकि सभी कार्यकर्ता साथ आ सकें। अधिक अंतर रहेगा, तो केवल हम आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ता पीछे छूट जायेंगे। कार्यकर्ता प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, वें सहयोगी हैं। उसका विकास हो, यह मानसिकता आवश्यक है।

हम स्थाई (Permanent) नहीं है। हमारी जगह, अन्य कोई भी कार्यकर्ता स्थान लें, इस दृष्टि से कार्यकर्ताओं का चयन तथा उनका प्रशिक्षण करने का दायित्व भी, हमारा ही है।

अध्यक्ष

- सहकारिता का अध्ययन।
- सहकारी संस्थाओं को संपर्क तथा मार्गदर्शन ।
- बैठक व कार्यक्रम में संचालन, मार्गदर्शन, निर्णय तथा समापन करना ।
- सर्वस्पर्शी एवं सर्व व्यापक कार्य करने का प्रयास।
- सभी प्रकार की अखिल भारतीय सहकारी संस्थाओं (Federations) में प्रवेश तथा नेतृत्व प्राप्त करें ।
- सहकारिता संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क, समस्या समाधान हेतु संवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क।

- सभी प्रकार की सहकारी संस्थाएं, अपने क्षेत्र से प्रारंभ करने का आग्रह करें।
- महिलाओं में कार्य बढ़ाने का प्रयास ।

महामंत्री (सचिव)

- सभी स्थानों पर कार्यकारिणी का गठन हो, ऐसा प्रयास तथा नियमित संचालन ।
- बैठकों का नियोजन, संचालन तथा बैठक विषय पर पूर्व चिंतन।
- कार्यकर्ता के सम्पर्क, विचार–विमर्श तथा कार्यकर्ता विकास में सहयोग।
- संगठन का कार्य विस्तार हेतु प्रवास।
- सभी प्रकार के कार्यक्रमों की रचना, योजना तथा अनुवर्ती प्रयास।
- कार्यालय परिपूर्ण एवं सक्रिय हो, नियमित पत्र व्यवहार की रचना।
- संगठन के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते, प्रेस में संपर्क करना, नियमित वृत्त भेजने की व्यवस्था।
- प्रचार–प्रसार, प्रसिद्धि के लिए परिश्रम। सोशल मीडिया पर सक्रिय।
- सहकारिता का अध्ययन हो। आवश्यकता अनुसार आंदोलन तथा न्यायालय का उपयोग करें।
- शासकीय अधिकारी से संपर्क।
- लोक प्रतिनिधि तथा सरकार के मंत्रीगण से संपर्क।
- केन्द्र कार्यालय से संपर्क तथा केन्द्र की आवश्यकताओं को पूरा करना।

संगठन प्रमुख

- अपने जैसे परिश्रमी समय देने वाले कार्यकर्ता की खोज तथा उनका विकास करना ।
- कार्य विस्तार हेतु प्रवास एवं संपर्क निरंतर करते रहना।
- संगठन की कार्य पद्धति का आग्रह, बैठक नियमित करने का प्रयास।
- स्वयं के लिए कठोर तथा अन्य के लिए उदार।
- स्वयं पीछे रहकर, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना।
- सभी प्रकार के काम में रूचि।
- सफलता का श्रेय, सहकारी कार्यकर्ता को देना।
- संगठन की पूर्ण चिंता करना (सदस्यता, कार्यकारिणी की बैठक, कोष, कार्यक्रम, प्रवास, संपर्क, प्रचार इत्यादि की चिंता करना तथा सभी कार्यो के लिए व्यक्ति ढूढ़ना)
- मंच पर बैठने का आग्रह तथा प्रेस में नाम आने का, आग्रह नहीं करना।
- परदे के पीछे के व्यक्ति की भूमिका में।

कोषाध्यक्ष / कोष प्रमुख

- संस्था का दैनिक लेखा–जोखा का हिसाब करना एवं रखना।
- संस्था तथा कार्यकर्ता से सदस्यता प्राप्त करना एवं शुल्क संग्रह करना।
- रसीद व अन्य माध्यम से सहायता प्राप्त करना।

- वार्षिक आय–व्यय का बजट तैयार करना। अंदाज (इस्टीमेट) पत्रक बनाना।
- संस्था का अंकेक्षन नियमित करना।
- आर्थिक सहयोग करने वाले संस्था एवं व्यक्तियों की सूची संपर्क सूत्र के साथ बनाना।
- सभी संपर्कित व्यक्ति, संस्थाओं को दीपावली, नूतन वर्ष तथा स्थानीय महत्व के उत्सव पर्व के अवसर पर शुभकामनाओं के पत्र भेजना ।
- आर्थिक सहयोग करने वालों को, यशस्वीं सहकारी संस्था, यशस्वी प्रयोग तथा सहकार भारती के कार्य की जानकारी देना।

संपर्क प्रमुख

- संपर्क प्रमुख का मुख्य कार्य–सहकार भारती व विभिन्न सहकारी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- संस्था, सरकार, सहकारिता विभाग के अधिकारी, मंत्रि मण्डल, लोक प्रतिनिधि के बीच सेतु की भूमिका।
- संगठन के लिए नये कार्यकर्ताओं को जोड़ना।
- सभी प्रकार के फेडरेशन, अखिल भारतीय संस्थाओं से संपर्क बनाये तथा सहकारिता क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को सहकार भारती से अवगत कराकर, संगठन को जोड़ना।
- प्रेस–मीडिया, बुद्धिजीवी, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, अन्य संगठन से संपर्क रखना।

- संघ के विचार के विविध संगठनों, अधिकारियों तथा शाखा से संपर्क करते रहना।
- यशस्वी सहकारी संस्था से संपर्क तथा प्रयोग किये हो तो, उसका संकलन एवं समस्या समाधान में सहायक होना।

सभी पदाधिकारियों को सकारात्मक विचार, सबको साथ लेकर चलना एवं आत्मीयता पूर्ण व्यवहार आवश्यक है।

अपने कठोर परिश्रमी तथा सत्यवादी भूमिका से ही कार्यकर्ता के बीच श्रृद्धा उत्पन्न होती है। प्रवास एवं संपर्क में अग्रेसर रहते हुए, कार्य पद्धिति को सर्वोपरि रखकर, कार्यकर्ता निर्माण को ही संगठन की आधारशिला मानकर, कार्य को आगे बढ़ाते रहना ही, पदाधिकारियों का मुख्य कार्य है।

संघठनात्मक संरचना

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

↓

प्रदेश कार्यकारिणी

↓

जिला कार्यकारिणी

↓

तहसील कार्यकारिणी (प्रखंड)

संघठनात्मक

क्षेत्र प्रमुख

विभाग प्रमुख

केंद्र, प्रदेश कार्यकारिणी के दरम्यान सहमति के लिए संघठन समिति

प्रकोष्ठ रचना

अ.भा. प्रकोष्ठ प्रमुख

प्रदेश प्रकोष्ठ प्रमुख

जिला प्रकोष्ठ प्रमुख

कार्यालय

- संगठन का काम सुचारू रूप से चले इसलिए, कार्यालय की आवश्यकता है।
- कार्यालय कम से कम 3–4 घंटे चले तथा कार्यालय प्रमुख हो।
- सहकारिता संस्थाओं की सविस्तार सूची, सहकार भारती की साहित्य सामग्री, सहकारिता का इतिहास तथा कानून, सहकारिता से संबंधित लिखित साहित्य, टेलीफोन एवं मोबाइल फोन की सूची, आवश्यक प्रतिमा, लेखन सामग्री इत्यादि जो अच्छे ढंग से कार्यालय में आवश्यक हो।
- भौगोलिक रचना समझने हेतु आवश्यकता अनुसार मानचित्र (Maps) हो।
- हवाई, रेल और सड़क यातायात की समय सारिणी उपलब्ध हो।
- जनसंपर्क के लिए आवश्यक सभी तरह की अद्यतन सूची।
- वृत्त पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि संपर्क नंबर।
- सहकारिता से संबंधित अधिकारी, फेडरेशन पदाधिकारियों की सूची।
- व्यापक जन सम्पर्क के लिए व्यापक सूची बनाना भी आवश्यक।
- कार्यालय में बैठक व्यवस्था, कम्प्यूटर, प्रिंटर और आवश्यक साहित्य की उपलब्धता हो।
- कार्यालय में प्रसन्नतापूर्ण, साफ–सुथरा वातावरण आवश्यक है।

कार्यालय में अपेक्षित फाइलों के प्रकार

A

- प्रांत स्तर के सभी कार्यक्रमों की अलग–अलग फाईल बनाना।
- प्रांत वृत्त (संगठनात्मक, कार्यक्रमात्मक, आंदोलननात्मक)
- प्रांत अधिवेशन में सहभागी कार्यकर्ताओं की संकलित सूची
- प्रांत कार्यकारिणी
- प्रांत अधिवेशन में पारित प्रस्ताव
- प्रांत कार्यकारिणी बैठक में पारित प्रस्ताव

B

- प्रांत समीक्षा–योजना बैठक का वृत्त
- प्रांतीय संगठन कार्य समिति
- प्रांत पत्रक
- प्रांत अभ्यास वर्ग में सहभागी कार्यकर्ताओं की संकलित सूची
- अभ्यास वर्ग प्रारूप
- प्रमुख कार्यकर्ता परिचय
- इकाई की सूची
- जिलाशः फाईल (हर जिले के नाम से एक फाईल बनाना)
- प्रकल्प

C

- पूर्व कार्यकर्ताओं की सूची
- दान, दाता, शुभ चिंतक व सहयोगी
- अपने संपर्कित सहकार क्षेत्र के कार्यकर्ता
- सहकारी फेडरेशन/एसोसिएशन के पदाधिकारी
- विचार–परिवार के संगठनों के कार्यालय व प्रमुख कार्यकर्ता
- विभिन्न सहकारी संस्थाओं की सूची
- अपने विचारधारा से जुड़ी हुई संस्थाओं की सूची
- सफल/यशस्वी सहकारी संस्थाओं की सूची
- शासकीय संरचनानुसार अधिकारियों की सूची

D

- पत्र प्राप्ति
- भेजे हुए पत्रों की प्रति
- छपाई के नमूने (छपा साहित्य प्रति)
- प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की सूची
- समाचार पत्र में लेख लिखने वालों की सूची
- समाचार पत्र कतरन (न्यूज पेपर कटिंग्स)
- प्रेस विज्ञप्ति

E

- राष्ट्रीय कार्यकारिणी व केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य
- राष्ट्रीय अधिवेशन व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव
- केन्द्रीय पत्रक
- केन्द्र द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति

F

- प्रकोष्ठ सूची
- हर प्रकोष्ठ की जानकारी
- प्रकोष्ठ कार्यकर्ता सूची
- आवास प्रकोष्ठ
- प्रकोष्ठ सरकारी उपविधि

G

कार्यालय व्यवस्थापन

- इंटरनेट बिल, फोन बिल
- संगणक व इंटरनेट संबंधित सी.डी. दस्तावेज
- प्रशासन से आने वाले कर संबंधित पत्रक
- भ्रमण बिल
- कार्यालय रसोई घर से संबंधित खर्च की फाईल

- **हर संगठन प्रभावी होने के लिए 4—क आवश्यक होते हैं**

  1. कार्यक्रम
  2. कार्यालय
  3. कार्यकर्ता
  4. कार्यकारिणी

  और क की प्रक्रिया में कार्यालय का विशेष महत्व है।

कार्यालय प्रमुख के पास निम्न अपेक्षित जानकारी रहे

- विचार परिवार के अन्य संगठनों के कार्यालय की सूची
- अन्य संगठनों की सूची
- प्रांत व केन्द्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के संपर्क नंबर व ई—मेल आईडी
- पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं की सूची
- देश/विदेश में रहने वाले कार्यकर्ता।
- प्रांत में अन्य स्थानों पर विभाग/जिला कार्यालय की जानकारी
- प्रांत कार्यालय में निवास संबंधित जानकारी
- कार्यालय में आने वाले पत्र—पत्रिकाएं
- प्रांत की सहकार व्यवस्था संबंधी जानकारी
- तत्काल आरक्षण हेतु फोटो पहचान पत्र की कॉपी
- आरक्षण हेतु प्रवासी कार्यकर्ताओं की उम्र की जानकारी
- रेल यात्रा की पूरी जानकारी (आरक्षण, तत्काल, वी.आई.पी. (EQ) कोटा इत्यादि
- कैब/बस/हवाई यात्रा की पूरी जानकारी (एयर लाइन्स ,ई—टिकट)

- साहित्य छपाई व फोटो कापी के केन्द्र
- कार्यालय में आने वाले पत्र–पत्रिकाएं
- कम्प्यूटर व अन्य संबंधित संसाधनों का रख–रखाव (रिपेरिंग आदि)
- कार्यालय के सभी संसाधन(व्यय/भुगतान) की नियत तिथि व स्थान
- समय–समय पर कार्यक्रमों में लगने वाले संसाधन
- कार्यालय संसाधन–मेलिंग लिस्ट

बैठक की तैयारी

बैठक आरम्भ करने के पूर्व निम्न तैयारी अवश्य कर लेना चाहिए।

1. डायस के ऊपर दीवार के मध्य भाग में सहकार भारती का बैनर लगाना।
2. डायस के बाँई ओर एक पृथक टेबिल पर भारत माता का एवं स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार जी का चित्र लगाना।
3. चित्र के माल्यार्पण/पुष्पों की तथा दीप प्रज्जवलन हेतु दीपक, रूई की बत्ती, माचिस एवं मोमबत्ती की व्यवस्था करना।
4. बैठक का एजेण्डा तैयार रहना चाहिए तथा बैठक की कार्यवाही हेतु एक रजिस्टर एवं पेन की व्यवस्था होनी चाहिए।
5. बैठक में प्रतिभागियों के सुझावों को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए।

सहकार गीत

चरैवेती–चरैवेती, यही तो मंत्र है अपना
नहीं रूकना नहीं थकना, सतत चलना, सतत चलना
यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना ।।

हमारी प्रेरणा भास्कर, है जिनका रथ सतत चलता ।
युगों से कार्यरत है जो, सनातन है प्रबल ऊर्जा ।।
गति मेरा धर्म है जो, भ्रमण करना, भ्रमण करना ।।1।।

हमारी प्रेरणा माधव, है जिनके मार्ग पर चलना।
सभी भारतीय सहोदर है, ये जन–जन को सभी कहना।।
स्मरण उनका करेंगे और, समय दे अधिक जीवन का।।2।।

हमारी प्रेरणा भारत, है भूमि की करें पूजा।
सुजल सुफला सदा स्नेहा, यहीं तो रूप है उसका।।
जियें माता के कारण हम, करें जीवन सफल अपना।।3।।

हमारी प्रेरणा सहकार, है जिसके मार्ग पर बढ़ना।
बिना संस्कार नहीं सहकार, बनें यह कार्य का आधार।।
श्रम अपना करेंगे और, करें उत्थान भारत का।।4।।

गीत

नव–रचना साकार हो, समाज में सहकार हो
मंगलमय, सुखमय वैभव से, भरे–भरे भण्डार हो ।।धु।।
मिल–जुल कर, सब काम करें,
स्नहे युक्त सद्भाव भरें।
शुद्ध आचरण कर्म–तपस्या, मधुर सदा व्यवहार हो ।। 1।।

गुणवत्ता, कौशल्य जगाये,
सुंदर, विकास पथ अपनाये।
सबकी पूँजी सबके हित में, श्रेष्ठ उदात्त विचार हो ।। 2।।

शोषण ना हो, ना अन्याय,
अवसर सबको मिलता जाय।
भारत के उत्कृष्ट रूप का, जग में मुक्त विहार हो ।। 3।।

अर्थ–नीतियां विफल हो रही,
मानवता विश्वास खो रही।
सेवा में 'सहकार भारती', जन–जन का आधार हो।। 4।।

समापन मंत्र

सहकार भारती के कार्यक्रमों के समापन पर उच्चारण हेतु मंत्र ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्दुःख भाग भवेत।।

।। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ।।

सभी सुखी हो, सभी व्याधिमुक्त हो।

सभी का भला, देखो कोई भी दुखी न हो।।

सहकारिता घोषणा

सहकार भारती जिन्दाबाद – जिन्दाबाद जिन्दाबाद

जिन्दाबाद–जिन्दाबाद – सहकार भारती जिन्दाबाद

जन–जन की आवाज – सहकार भारती जिन्दाबाद

अर्थनीति का हो आधार – जय सहकार जय सहकार

जय सहकार जय सहकार – अर्थनीति का हो आधार

बचत सादगी सबका विचार – सहकारिता के ये आधार

बिना संस्कार नहीं सहकार – बिना सहकार नहीं उद्धार

सहकार भारती आयी है – नयी रोशनी लायी है

सबके लिए एक और, सब एक के लिए

सहकारिता जरूरी है, हर एक के लिए

जन जन के लाभ की बात – जुड़े सभी सहकार के साथ

सहकारिता, अर्थनीति का हो आधार– हो आधार! हो आधार!!

One for all & all for one; Cooperative for everyone

सहकार भारती

केन्द्र कार्यालय

प्लाट नं0 211, बियास बिल्डिंग,
फ्लैट नं0 25 – 27 सतगुरू शरण हो.सो.ली.
सायन अस्पताल के सामने, सायन (पूर्व),
मुम्बई–400022
फोन नं0 022–24010252, मो0 नं0 8552851979
ईमेल–sahakarbharati1@gmail.com
वेबसाइटः-www.sahakarbharati.org

दिल्ली कार्यालय

फ्लैट नं0 205, बिट्ठल भाई पटेल हाऊस,
रफी मार्ग, पटेल चौक के पास,
नई दिल्ली–110001
मो0नं0 9928547882
ईमेल–sahakarbharatidelhi@gmail.com

उत्तर प्रदेश कार्यालय

न्यू बी ब्लाक, भवन सं0 100, दारूलशफा,
हजरतगंज, लखनऊ–226001
मो0नं0 9555438035, व्हाट्सअप–8009240621
ईमेल–upsahkarbharti@gmail.com